2025/399

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर**

व इजलास– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

**प्रार्थी** **बनाम** **अप्रार्थी**

सुरेश कुमार सरकार

**किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट**

प्रकरण संख्या :– 339 /2025

**दिनांकः–** 4/7/25

**–::आदेश::–**

प्रार्थी **सुरेश कुमार चौधरी** पुत्र श्री **रामू राम चौधरी** जाति **जाट** निवासी **रामासनी** तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावें।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम **रामासनी** की जमाबंदी संवत् **2075 से 2078** के खाता सं. 108 के खसरा नंबर 26/2 में दर्ज अशुद्ध नाम **सुरेशकुमार पुत्र रामाराम** जाति **जाट** निवासी **रामासनी** का शुद्ध नाम **सुरेश कुमार पुत्र श्री रामू राम चौधरी** जाति **जाट** निवासी **रामासनी** की राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया ग़या। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा
सत्यमेव जयते